न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 74/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– खुदाबक्ष पुत्र गबरूखां 2– हासमखां पुत्र गबरूखां 3– शहाबूदीन पुत्र गबरूखां जातियान सिंधी निवासीगण सिंधीनगर , कापरडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1–श्रीमती अजीजा पुत्री गबरूखां पत्नी सुभान खां जाति सिंधी मुसलमान निवासी सिंधीनगर कापरडा तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–2–2018 जो अपर जिला कलेक्टर (भू0रूपा0)जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 38/2017 अनवान श्रीमती अजीजा बनाम खुदाबक्श वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सोनाराम चौधरी,एम.डी.मेहर अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री ओमप्रकाश डारा अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 6–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिंधीनगर तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 454/1 रकबा 6 बीघा भूमि गबरूखां पुत्र रहीमखां कौम सिंधी सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार गबरूखां के फोत होने पर उक्त भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 51 मृतक के तीन पुत्र वर्तमान अपीलांटगण को उतराधिकारी बताते हुए उनके नाम दर्ज कर तहसीलदार (भू.अ.) बिलाडा द्वारा दिनांक 13–2–96 को स्वीकृत कर दिया, उक्त म्युटेशन के विरूद्ध मृतक खातेदार गबरूखां की पुत्री वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (भूमि रूपांतरण) जोधपुर के समक्ष वर्ष 2017 मे यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की कि वह मृतक खातेदार गबरूखां की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिसान होते हुए अपीलाधीन भूमि का फोतेदगी म्युटेशन स्वीकृत करते समय स्व0 गबरूखां के विधिक वारिसान बाबत कोई जांच नही की तथा न ही उनको नोटिस एवं सुनवाई का कोई अवसर दिये केवल पुत्रो के नाम म्युटेशन संख्या 51 स्वीकृत करते हुए उसे अपने पिता के खातेदारी से वंचित रख दिया इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त कर मृतक गबरूखां के सभी विधिक वारिसान के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने का निवेदन किया तथा अपील के साथ अपील पेश करने मे हुए विलंब को क्षमा करने बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र भी पेश किया था । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील मे बाद सुनवाई के अपने निर्णय दिनांक 28–2–2018 के द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

अति॰ सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कि वे स्व0 गबरूखां के वारिसान की जांच करते हुए गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित करे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने वर्ष 1996 को स्वीकृत हुए म्युटेशन की वर्ष 2017 मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 22 वर्ष विलंब से म्युटेशन अपील पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे उनके समक्ष इतनी विलंब से प्रस्तुत अपील को मयाद सुमार करने अथवा नही करने बाबत कोई विवेचन नही कर सीधे ही अपील को स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे हमारी ओर से अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर ऐतराज भी पेश किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे जवाब पर विचार किये बिना ही तथा अपील को अंदर सुमार मानने बाबत कोई विवेचन दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । वकील अपीलांट ने कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं एपेक्स बेंच के अनेको निर्णयो मे यह प्रतिपादित किया है कि कोई भी प्रकरण जो विलंब से पेश है तो प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व लिमिटेशन के बिन्दु को तय किया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये रेस्पो0 को अधिकार हासिल नही हो सकते, यदि रेस्पो0 अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार होना मानती है तो उसे इसके लिए उसे सक्षम न्यायालय मे अपने अधिकारो की घोषणा का वाद प्रस्तुत करना होगा । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 मुस्लिम विधि से शासित है तथा मुस्लिम विधि मे बेटियो का कोई हक हिस्सा नही होता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार किये बिना ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे ए.आई.आर. 1998 एससी पेज 2276, 2009 (02) सीसीसी पेज 371 एवं 2009 (2) सीसीसी पेज 440 की निर्णय नजीरे पेश की ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय 28–2–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती अजीजा मृतक खातेदार गबरूखां की पुत्री है, इस तथ्य को अपीलांट भी स्वीकार करते है तथा वह भी स्व0 गबरूखां की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होते हुए उसका नाम

अपीलाधीन म्युटेशन मे दर्ज नही किया जाने तथा इस तथ्य की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 को होने पर उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 51 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को मृतक खातेदार गबरूखां के वारिसान की जांच कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड ही तो किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेको ऐसे भी निर्णय पारित किये है जिसमे प्रकरण यदि गुणावगुण पर सारवान हो तो अपील को केवल मयाद जैसे तकनीकी कारणो से खारीज नही किया जाना चाहिये । इसी कानूनी बिन्दु को ध्यान मे रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो स्वतः ही अपील को अंदर मयाद सुमार मानते हुए पारित किया हुआ माना जायेगा इसलिए अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–2–2018 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 51 का भी अवलोकन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 51 मे वर्णित खातेदारी भूमि के खातेदार गबरूखां के फोत होने पर उसके खातेदारी बाबत फोतेदगी म्युटेशन संख्या 51 मृतक के वारिसान मे केवल पुत्रो के नाम ही दर्ज करते हुए पटवारी हल्का ने पेश किया, जिसे तहसीलदार बिलाडा द्वारा दिनांक 13–2–96 को स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युंटेशन की जानकारी होने पर रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 51 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा करने बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र भी पेश किया था ।

अपीलाधीन नामांतरकरण जो विरासत का स्वीकार किया गया था परंतु उक्त उतराधिकार का नामांतरकरण स्वीकार करने से पूर्व तहसीलदार बिलाडा ने मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान की पूर्ण जांच करवाये बिना केवल मृतक के पुत्रो के नाम ही म्युटेशन स्वीकृत कर दिया जबकि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती अजीजा भी मृतक की पुत्री है तथा इस तथ्य को अपीलांट भी स्वीकार करते है । ऐसे मे अपीलाधीन म्युटेशन पर तहसीलदार बिलाडा द्वारा पारित स्वीकृति आदेश प्रांरभ से त्रुटिपूर्ण था तथा ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के गुणावगुण पर विचार करने के बाद तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–2–2018 के द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को स्व0 गबरूखां के वारिसानो की पूर्ण जांच करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया है, वह अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए

ही पारित किया गया है, जो समर्थन योग्य है ।

जहां तक अपीलांट का यह कथन कि अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 1 मृतक खातेदार के पुत्र, पुत्री मुस्लिम विधि से शासित है तथा मुस्लिम विधि मे पुत्रियो का कोई हक हिस्सा उसके पिता की सम्पति मे नही होता है, तो उक्त कानूनी प्रावधान क्ष अपीलांट रिमाण्ड कार्यवाही के दौरान तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर प्रकट कर सकते है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भू.रूपा.) जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–2–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 6–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर